15-II

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

**PART II—Section 3—Sub-section (i)**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 81] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2001/फाल्गुन 3, 1922

No. 81] **NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2001/PHALGUNA 3, 1922**

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### आदेश

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2001

सा.का.नि. 105 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) (संशोधन) आदेश, 2001 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. किरोसिन (उपयोग पर निर्बंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के खंड 2 में,—

(क) मद (ज) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ज) 'समानान्तर विपणनकर्ता' से समानान्तर विपणन प्रणाली में लगा हुआ कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम या संगठन अभिप्रेत है।'';

(क) मद (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(झ) 'समानान्तर विपणन प्रणाली' से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भिन्न कोई ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अधीन कोई व्यक्ति अपनी व्यवस्था के अधीन किरोसिन का आयात करता है या उसका भंडारण, परिवहन, पैक, वितरण करता है या आयातित किरोसिन का विक्रय करता है।''।

[फा. सं. पी-21016/8/2000-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**—मूल आदेश भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 584(अ), तारीख 2 सितम्बर, 1993 द्वारा प्रकाशित किया गया था और निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया था :—

सा.का.नि. 509(अ) तारीख 19 जून, 1995,

सा.का.नि. 126(अ) तारीख 12 मार्च, 1996,

सा.का.नि. 638(अ) तारीख 21 अक्तूबर, 1998।

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

### ORDER

New Delhi, the 22nd February, 2001

**G. S. R. 105(E).**— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, namely :—

1. (1) This Order may be called the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) (Amendment) Order, 2001.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, in Clause 2,—

(a) for item (h) the following shall be substituted, namely :—

"(h) 'parallel marketeer' means a person, firm, company, institution, association of persons, or organisation engaged in parallel marketing system.";

(b) for item (i) the following shall be substituted, namely :—

"(i) 'parallel marketing system' means a system, other than the public distribution system, under which a person imports kerosene, or stores, transports, packs, distributes or sells imported kerosene, under his own arrangement.".

[F. No. P-21016/8/2000-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

**Note :**—The Principal Order was published in the Gazette of India vide number G.S.R. 584(E) dated the 2nd September, 1993 and subsequently amended *vide*

G.S.R 509(E) dated 19th June, 1995,

G.S.R 126(E) dated 12th March, 1996,

G.S.R 638(E) dated 21st October, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.